भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1715 का उत्तर

देश में चौकीदार रहित रेल समपार

1715. श्री जी. सेल्वम:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, जिला-वार चौकीदार रहित रेल समपार (यूएलसी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने प्रचालनरत रेलवे लाइनों पर सभी चौकीदार रहित रेल समपार को समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हाँ, तो उक्त राज्य में निर्धारित लक्ष्य और वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में परित्यक्त/प्रचालन बंद रेल समपार पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पैदल यात्रियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु में उन स्थानों पर यात्रियों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं, जैसे फुट ओवरब्रिज, अंडरपास और सड़क मार्ग परिवर्तन का ब्यौरा क्या है जहाँ चौकीदार रहित रेल समपार को हटा दिया गया है/स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है; और

(च) उक्त राज्य में रेल समपार पर सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों जैसे गेटों की स्थापना, जागरूकता अभियान, कार्मिकों की तैनाती और प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल के बड़े आमान के नेटवर्क की चालू लाइनों पर सभी बिना चौकीदार वाले समपार 31.01.2019 तक समाप्त कर दिए गए हैं। इन बिना चौकीदार वाले समपारों को

चौकीदार तैनात करके, बंद/विलय करके (गाड़ी वाहन इकाइयों की कम संख्या के कारण) तथा साइट की स्थिति के आधार पर उपरि/निचले सड़क पुल का निर्माण कर समाप्त किया गया है।

बंद समपार स्थानों पर रेलपथ समपारों के आर-पार आने-जाने संबंधी कार्य (सबवे/एफओबी) का प्रावधान रेलवे द्वारा किया जाता है, यदि वह स्थान गाड़ी परिचालन की संरक्षा, गाड़ी की गतिशीलता और अवसंरचना पर अतिक्रमण के कारण प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो, तो इसके संबंध में कार्य संबंधी प्राथमिकता, व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किया जाता है। इस समय, तमिलनाडु राज्य में बंद समपारों पर 03 अदद सबवे स्वीकृत हैं।

भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को मंजूरी और निषपादन सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

भारतीय रेल पर 2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून, 2025) की अवधि के दौरान निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

अवधि	निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जून'25)	13,426 अदद (तमिलनाडु राज्य में 747 अदद सहित)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 1,00,860 करोड़ रूपए की लागत से 4,402 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें तमिलनाडु राज्य में 4669 करोड़ रूपए की लागत से 235 अदद उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, देशभर के समपारों पर रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- रेल/सड़क वाहनों के अधिक आवागमन वाले समपारों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए सिगनलों से इंटरलॉक किया गया है

- **समपारों पर व्हीसल बोर्ड, सड़क चेतावनी बोर्ड, स्पीड ब्रेकर जैसी मूलभूत अवसंरचना आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।**
- **समपारों पर सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा चेतना पैदा करने के लिए जन जागरूकता अभियान/संरक्षा स्लोगन चलाए जाते हैं।**

*****